105

भारत का विधि आयोग

एक-सौ पांचवीं रिपोर्ट

उपभोक्ता माल की क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण

अक्तूबर, 1984

भारत का विधि आयोग की अक्तूबर, 1984 में प्रकाशित एक-सौ पांचवीं रिपोर्ट का शुद्धिपत्र

पृष्ठ सं०	पैरा	पंक्ति सं०	के स्थान पर	पढ़ें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अनुक्रमणिका	..	2	विषय के	विषय से
,,	..	3	किंग्डम में 3	किंगडम की विधि में 4
1	1.2	5	इम्पलाइड टर्म्स ...कान्ट्रैक्ट टर्म्स)	(इम्पलाइड टर्म्स) ..कान्ट्रैक्ट टर्म्स
2	2.2	1	को 11 क्रेता .....एम्पटर)	को "क्रेता.....एम्पटर)"
2	2.2	5	को संविदा	की संविदा
2	2.3	1	वर्णनानुसार किया	वर्णनानुसार क्रय किया
2	2.4	4	विशिष्टि	विशिष्ट
2	2.4	5	अब किसी	जब किसी
2	2.4	10	माल का	माल के
3	2.5	3	वाला किसी	वाली किसी
5	3.6	3	अधिनियन,	अधिनियम,
5	3.7	18	टर्म) ऐक्ट	टर्म्स) ऐक्ट
8	4.5	8	की जाए	किया जाए
8	4.5	9	यह पद्धति	इस पद्धति
9	5.2, चौथा पैरा	1	में ऐसा	में ऐसी
10	5.4	2	विद्यान	विधान
13	5.12(6)(ii) के नीचे दूसरा पैरा	2	तथ की	तय की
13	5.13	7	पुनःस्थापित	पुरःस्थापित
15	6.2	5	न्यूनतम कुछ	कुछ न्यूनतम
15	6.3	3 और 7	औषधि	औषधि और प्रसाधन सामग्री
15	6.4	4	खरीदने	खरीदते
16	6.5	3	करने के लिए	सुनिश्चित करने के लिए
17	अधिकारियों के नाम	7	(पी०एल० बख्शी)	(पी०एम० बख्शी)
17	तारीख	अन्तिम	तारीख	तारीख 27 अक्तूबर, 1984
18	परिशिष्ट, विषय सूची	4	क्वालिटी का परीक्षण।	माल का परीक्षण।
18	परिशिष्ट, विषय सूची	5	विषय वस्तु	विषय-वस्तुएं
18	,, ,, ,,	10	नियम	नियम 10
19	बृहत् नाम के नीचे का पैरा	1	निम्नलिगित	निम्नलिखित
21	खंड 10 (3)	2.3	तीस दिन की कुल	कुल तीस दिन की
21	,,	3	अधिक सत्रों	अधिक अनुक्रमिक सत्रों
21	,,	8	के पूर्व उसके	से उसके

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ
अध्याय 1—प्रस्तावना	1
अध्याय 2—विषय के सम्बन्धित विद्यमान विधि	2
अध्याय 3—यूनाइटेड किंगडम में और आधिक विकास	3
अध्याय 4—भारत में स्थिति—संशोधन की आवश्यकता . . .	7
अध्याय 5—कार्य-संचालन पत्र के बारे में प्राप्त आलोचनाएं . . .	9
अध्याय 6—और आगे विचार तथा सिफारिशें	15
परिशिष्ट—विधेयक का प्रारूप	18

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 हमारे देश में प्रेस और सरकार दोनों बहुत पहले से ही उपभोक्ताओं के संरक्षण पर अधिक ध्यान देते आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार ने नागरिक आपूर्ति (सिविल सप्लाई) मंत्रालय में मंत्री की अध्यक्षता में भारतीय उपभोक्ता-संरक्षण परिषद् गठित की है।[1] ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री ने नई दिल्ली में उपभोक्ता-संरक्षण परिषद् के प्रथम अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए इस बात का उल्लेख किया था कि विनिर्माण की प्रक्रियाओं का परिष्करण बढ़ता जा रहा है तथा बाजार-क्षेत्रों का व्यापक विस्तार हो रहा है जिससे आधुनिक आर्थिक ढांचे में उपभोक्ता को अनेक असुविधाओं और अहितकर बातों का शिकार होना पड़ता है। ऐसा लगता है कि दिल्ली प्रशासन ने एक तकनीकी प्रयोगशाला (टेकनीकल लैबोरेटरी) स्थापित करने का निश्चय किया है जहां उपभोक्ताओं द्वारा क्रय की गई खाद्य-सामग्री और उपभोग्य माल की क्वालिटी की जांच की जा सकती है।

1.2 आयोग में एक पत्र[2] प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कथन किया गया है कि ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन व्यक्तियों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयां बताई गई हैं जिन्होंने बिजली का खराब माल क्रय किया और बाद में अपने को असहाय पाया। पत्र भेजने वाले व्यक्ति ने यह सुझाव दिया है कि विधि आयोग यूनाइटेड किंगडम सप्लाई आफ गुड्स इम्पलाइड टर्म्स ऐक्ट, 1973 और अनफेयर कान्ट्रैक्ट टर्म्स) ऐक्ट, 1977 की तरह विधि में संशोधन की सिफारिश करने की उपयुक्तता पर विचार कर सकता है। किन्तु इस विषय के सम्बन्ध में विधि आयोग को सरकार से कोई निर्देश नहीं मिला है। फिर भी सरकार और जनता भी उपभोक्ता के संरक्षण के प्रश्न पर ध्यान दे रही है और इसका महत्व भी है इसलिए विधि आयोग ने इस विषय पर विचार करने का निश्चय किया है।

1.3 यहां हम यह कह देना चाहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम अनफेयर कान्ट्रैक्ट टर्म्स ऐक्ट, 1977 के आदर्श पर भारतीय संविदा अधिनियम में संविदाओं के मानक प्ररूपों में अनुचित निबन्धनों के विरुद्ध राहत का उपबन्ध करने के लिए भारतीय संविदा अधिनियम में संशोधन करने का प्रश्न एक अलग रिपोर्ट का विषय है।[3] इस रिपोर्ट में इस प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव है कि बिजली के महंगे उपकरण आदि क्रय करने के बारे में उपभोक्ता के हितों को किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से सुरक्षित किया जा सकता है जिससे कि उपभोक्ता को महंगे और सम्भवतः बहुत लम्बे समय तक चलने वाले मुकदमे न शुरू करने पड़ें।

---

1. फाइनेन्शियल एक्सप्रेस (27-11-1983)।
2. विधि आयोग की फाइल सं० एफ० 2(1)/84-एल०सी० क० सं० 2 1
3. विधि आयोग की एक-सौ तीनवीं रिपोर्ट।

अध्याय 2

विषय से सम्बन्धित विद्यमान विधि

2.1 माल विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 11 से लेकर धारा 17 तक में माल के विक्रय को लागू होने वाली शर्तें और वारण्टियां दी गई हैं। धारा 11 में यह उपबन्धित है कि जब तक कि संविदा के निबन्धनों से कोई भिन्न आशय प्रतीत न होता हो, समय के बारे में अनुबन्ध को विक्रय की संविदा का मर्म नहीं समझा जाता। धारा 12 में "शर्त" और "वारण्टी" की परिभाषा दी गई है; धारा 13 इस बात के बारे में है कि शर्त कब वारण्टी मानी जा सकेगी; धारा 14 हक और निर्बाध कब्जे आदि की विवक्षित शर्तों के बारे में हैं; धारा 15 वर्णनानुसार विक्रय के बारे में हैं; धारा 16 क्वालिटी या योग्यता के बारे में विवक्षित शर्तों के सम्बन्ध में है और धारा 17 नमूने के अनुसार विक्रय के सम्बन्ध में है।

2.2 विधि के सामान्य सिद्धान्त को 11 क्रेता सावधान रहे (कैवियट एम्पटर) की सूक्ति में संक्षिप्त किया गया है और यह इस उपधारणा पर आधारित है कि जब क्रेता क्रय करता है तब वह अपने कौशल और विवेकबुद्धि पर भरोसा करता है। किन्तु उपयुक्त नियम के मान्यताप्राप्त अपवाद भी हैं। पहला अपवाद यह है कि "जब कोई विनिर्माता या व्यवहारी किसी ऐसी वस्तु के प्रदाय (सप्लाई) को संविदा करता है जिसे वह विनिर्मित या उत्पादित करता है या जिसका वह व्यवहारी है और जिस वस्तु का प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए होने वाला है जिससे कि क्रेता आवश्यक रूप से विनिर्माता या व्यवहारी के कौशल पर विश्वास करता है तब ऐसी दशा में इसमें यह विवक्षित निबन्धन या वारण्टी विद्यमान है कि इस प्रयोजन के लिए उस वस्तु का प्रयोग किया जाने वाला है उस प्रयोजन के लिए वह वस्तु उचित रूप से योग्य होगी। ऐसी दशा में क्रेता उस वस्तु के विनिर्माता या व्यवहारी पर विश्वास करता है और उसकी विवेकबुद्धि पर भरोसा करता है और अपनी विवेकबुद्धि पर भरोसा नहीं करता।[1]

2.3 दूसरा अपवाद यह है कि जहां ऐसे विक्रेता से माल वर्णनानुसार किया जाता है जो उस वर्णन के माल का व्यापार करता है वहां यह विवक्षित निबन्धन रहता है कि वह माल वाणिज्यिक क्वालिटी का होगा। कामन ला के नियम और अपवादों को भी माल विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 16 में सम्मिलित किया गया है, जो इंग्लिश विधि की धारा 14 पर आधारित है।

2.4 पहला अपवाद एक ऐसे मामले में लागू होगा जिसमें अपेक्षित माल का वर्णन क्रेता द्वारा बताया जाता है और उस वर्णन से यह पता चलता है कि वह माल विशिष्ट प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। ऐसे मामले में यह उचित निष्कर्ष निकाला जाएगा कि उस विशिष्ट प्रयोजन के लिए माल का आर्डर दिया जा रहा है। एक मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अब किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिसको गरमपानी की थैली (हाट-वाटर बाटल) के बारे में विशेष ज्ञान या कौशल प्राप्त नहीं था, ऐसे कैमिस्ट (औषध विक्रेता) के पास गया जो ऐसी वस्तुएं विक्रय करता था और उससे "गरम पानी की थैली" की मांग की तब न्यायालय यह न्यायोचित निष्कर्ष निकाल सकता था कि उस माल का क्रय और विक्रय गरम पानी की थैली के रूप में प्रयोग किए जाने के प्रयोजन के लिए किया गया था।[2] इसी प्रकार ऊनी माल का एक फुटकर व्यवहारी को, जो कच्छों (अन्डर पैन्टों) का विक्रय करता है, यह अवश्य जानना चाहिए कि उनकी जरूरत शरीर के चमड़े से सटे पहनने के विशेष प्रयोजन के लिए होता है।[3]

---

1. जोन्स बनाम जस्ट (1868) ए० आर० 3 क्वी० बी० 197।
2. प्रीस्ट बनाम लास्ट (1903) 2 के० बी० 148।
3. ग्रान्ट बनाम आस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स लिमिटेड, ए० आई० आर० 1936 पी० सी० 34।

अध्याय 3

यूनाइटेड किंगडम की विधि में और अधिक विकास

3.1 यूनाइटेड किंगडम में माल विक्रय से सम्बन्धित विधि का अधिकांश रूप से संशोधन इंग्लैण्ड के विधि आयोग की सिफारिशों पर किया गया है। इंग्लैण्ड के विधि आयोग ने संविदाओं में छूट से सम्बन्धित खण्डों के बारे में तीन रिपोर्टें दी हैं। पहली रिपोर्ट[1] इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड के विधि आयोग की संयुक्त रिपोर्ट है जो माल विक्रय के सम्बन्ध में और सेल आफ गुड्स ऐक्ट, 1893 की धारा 13 से धारा 15 तथा धारा 55 के, जिनमें विक्रय की संविदा में विवक्षित निबन्धनों की चर्चा है, संशोधनों के सम्बन्ध में है। यह रिपोर्ट इन निबन्धनों के प्रभाव को अपवर्जित या सीमित करने वाले खण्ड के विनियमन के सम्बन्ध में भी है। पहली रिपोर्ट के आधार पर सप्लाई आफ गुड्स (इम्प्लाइड टर्म्स) ऐक्ट, 1973 अधिनियमित किया गया था। 1973 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विक्रेता के इस अधिकार को कि वह इन विवक्षित निबन्धनों को अपवर्जित कर सकता है, अत्यधिक सीमित करना था। इस अधिनियम में यह भी विवक्षित था कि इन शर्तों को अवक्रय (हायर परचेज) की संविदाओं के लिए समुचित रूप से समायोजित किया जा सकता है और इन उपबन्धों को अब मामूली संशोधनों के साथ कन्ज्यूमर्स क्रेडिट ऐक्ट, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित किया गया है। 1973 का अधिनियम व्यापार स्टाम्प (ट्रेडिंग स्टाम्प) को छोड़ दिए जाने पर माल के प्रदाता (सप्लायर) की बाध्यताओं में सुधार भी करता है और इनका वही साधारण प्रभाव होता है। इस विधान को सेल आफ गुड्स ऐक्ट, 1979 द्वारा समेकित किया गया था।[2]

3.2 दूसरी रिपोर्ट[3] ऐसे उपबन्धों के सम्बन्ध में है जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति किसी विधिक कर्तव्य या बाध्यता को अपवर्जित या निर्बन्धित करते हैं और जो सप्लाई आफ गुड्स (इम्प्लाइड टर्म्स) ऐक्ट, 1973 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आते। पहली रिपोर्ट तो इंग्लैण्ड के ला कमीशन (विधि आयोग) और स्काटिश ला कमीशन की संयुक्त रिपोर्ट है लेकिन दूसरी रिपोर्ट में दोनों विधि आयोगों ने मुख्य विवाद्यकों पर बहुत हद तक सहमत होते हुए भी विभिन्न निष्कर्ष निकाले हैं जो स्थानीय विधियों पर अधिकांश रूप से आधारित हैं।[4] किन्तु हमें इस रिपोर्ट में उनसे कोई सरोकार नहीं है।

3.3 दूसरी रिपोर्ट में अन्य बातों पर विचार करने के अतिरिक्त "उपेक्षा" के दायित्व और माल के प्रदाय की संविदाओं से भिन्न संविदाओं के भंग के दायित्व के तात्पर्यित अपवर्जन पर भी विचार किया गया है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज ऐक्ट, 1977 कमीशन (आयोग) की दूसरी रिपोर्ट पर अधिकांश रूप से आधारित है। दूसरी रिपोर्ट में माल-प्रदाय की ऐसी संविदाओं की चर्चा है जो माल के विक्रय या अवक्रय की संविदाओं से भिन्न हों, जैसे कि माल के भाड़े की संविदा, काम और सामग्री के लिए संविदा, हक की शर्त के लिए संविदा, तथा वर्णन, वाणिज्यिकता, योग्यता के अनुसार माल होने की शर्त का पालन करने के लिए संविदा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता को इन शर्तों के बारे में सभी फायदे इस बात के बावजूद मिलते हैं कि इनसे बच निकलने के लिए प्रयास किए गए हों।

3.4 इंग्लैण्ड के विधि आयोग द्वारा दी गई तीसरी रिपोर्ट[5] में ऐसे विषयों की चर्चा है जिनकी चर्चा पहले की दोनों रिपोर्टों में नहीं की गई है। तीसरी रिपोर्ट में उन निबन्धनों

---

1. यू० के० ला कमीशन नं० 24, स्काट ला कमीशन नं० 12।
2. ब्रायन डब्लू हार्वे द्वारा लिखित "दि ला आफ कन्ज्यूमर्स प्रोटेक्शन एण्ड फेयर ट्रेडिंग", द्वितीय संस्करण, पृ० 84–85।
3. यू० के० ला कमीशन, सं० 60, स्काट ला कमीशन सं० 39।
4. उसी का पैरा 4 और 6।
5. यू० के० ला कमीशन पृ० 95।

की चर्चा है जो प्रदाय की अन्य संविदाओं में विवक्षित होने वाले हैं। जैसे कि विक्रय की सदृश संविदाएं, उदाहरण के लिए वस्तु-विनिमय के लिए और काम तथा सामग्री के लिए संविदाएं।

3.5 जैसा कि पहले बताया गया है[1] हम संविदा के मानक प्ररूप में उन निबन्धनों के विषय पर अलग से विचार कर रहे हैं। उसमें हमने संविदाओं में अनुचित निबन्धनों को अधिरोपित करने के प्रयासों की चर्चा की है। अतः हमें इंग्लिश ला कमीशन की पहली और तीसरी रिपोर्ट पर विचार करना है।

3.6 पहली रिपोर्ट में इंग्लिश ला कमीशन ने यू० के० सेल आफ गुड्स ऐक्ट की धारा 12 से धारा 15 और धारा 55 में संशोधनों की चर्चा की है। हम इन धाराओं के उपबन्धों के समान उपबन्ध भारतीय माल विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 12 से धारा 17 तक में पाते हैं। यू० के० एक्ट की धारा 12 में हक आदि के बारे में विवक्षित परिवचन (एम्प्लाइड अंडरटेकिंग) की चर्चा है। इस धारा के संशोधन की सिफारिश इसमें यह उपबन्ध करने के लिए की गई थी कि वारण्टियों की शर्तों का अपवर्जन या उनमें फैरफार तभी सम्भव होना चाहिए जब यह स्पष्ट हो कि विक्रेता द्वारा सीमित हक का विक्रय तात्पर्यित है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि विक्रेता को इस बात की अनुमति प्राप्त नहीं है कि परव्यक्तियों (थर्ड पार्टीज) के पक्ष में निर्बाध कब्जे की वारण्टियों को किसी प्रकार या ऋणभार से मुक्त करके अपवर्जित कर सकें। धारा 13 में वर्णानानुसार विक्रय की चर्चा है और इस धारा के संशोधन की सिफारिश यह स्पष्ट करने के लिए की गई है कि सुपर-मार्केटों में, जहां माल स्वयं चुनाव किए जाने के लिए खुला रखा रहता है, माल के विक्रय को भी इस अधिनियम की धारा 13 के अर्थ में वर्णानानुसार विक्रय माना जाए।

3.7 धारा 14 में माल की क्वालिटी या योग्यता की चर्चा है और धारा 15 में नमूने के अनुसार विक्रय की चर्चा है। इन दोनों धाराओं के संशोधन की सिफारिश यह उपबन्ध करने के लिए की गई है कि इनमें जो विवक्षित शर्तें हैं वे ऐसे माल के बारे में भी लागू होती रहें जिनका प्रदाय विक्रय की संविदा के अधीन होता है, भले ही ऐसा माल विक्रय की विषय-वस्तु न हो और प्रयोजन के लिए माल की योग्यता की शर्त केवल ऐसे विक्रयों के लिए ही सीमित नहीं होनी चाहिए जिनमें माल उस वर्णन के अनुसार है जिस वर्णन के माल के प्रदाय का कारोबार विक्रेता करता है बल्कि माल की योग्यता की शर्त का विस्तार ऐसे सभी विक्रयों पर लागू करने के लिए होना चाहिए जिनमें विक्रेता अपने कारोबार के अनुक्रम में विक्रय का कार्य कर रहा है। विक्रय की संविदा में विक्रेता के कौशल और विवेकबुद्धि पर भरोसा करने के बारे में उपबन्ध के स्थान पर एक ऐसा उपबन्ध रखा गया है जिससे योग्यता की शर्त तब तक विवक्षित होगी जब तक परिस्थितियां ऐसी न हों जिनसे यह दर्शित हो कि क्रेता ने भरोसा नहीं किया था या उसके लिए विक्रेता के कौशल और विवेक बुद्धि पर भरोसा करना अनुचित था। धारा 15 के संशोधन की सिफारिश यह स्पष्ट करने के लिए की गई है कि वाणिज्यिक क्वालिटी की परिभाषा कारोबार के अनुक्रम में माल-विक्रय को ही लागू नहीं होती बल्कि नमूने के अनुसार विक्रयों को भी लागू होती है। धारा 55 के संशोधन की सिफारिश विक्रय की संविदा में विवक्षित निबन्धनों और शर्तों को अपवर्जित करने का अधिकार न करने के लिए की गई है। जैसा कि पहले कहा गया है इन सिफारिशों को सप्लाई आफ गुड्स ऐक्ट (इम्प्लाइड टर्म्स) ऐक्ट, 1973 द्वारा लागू किया गया है।

3.8 अनफेयर कान्ट्रैक्ट टर्म्स ऐक्ट, 1977 का मुख्य रूप से सम्बन्ध ऐसे नगण्य अपवाद-खण्डों को बनाने से है जो संविदाकारी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के प्रति उपेक्षा के दायित्व को न करने के लिए है। किन्तु इसमें ऐसे भी उपबन्ध हैं जिनमें

1. पिछला अध्याय 1।

इस स्थिति का पुनःकथन किया गया है कि जो विवक्षित शर्त का अपवर्जन या उपान्तरण करने के प्रयासों के बारे में है। ऐसी विवक्षित शर्त सेल आफ गुड्स ऐक्ट, 1893 की धारा 12 से धारा 15 तक में (अब 1979 के ऐक्ट में) और अवक्रय की संविदाओं के लिए (समानान्तर विधान में) दी गई हैं।

3.9 ऐसा प्रतीत होता है कि विवक्षित शर्तों जैसा कि वाणिज्यिक क्वालिटी आदि, के बारे में विधि का संशोधन करने के ये सभी प्रयास स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सके और जनता की जो चिन्ता त्रुटिपूर्ण माल के विक्रय के बारे में थी वह नवम्बर, 1978, में एक प्राइवेट मेम्बर के बिल "सप्लाई आफ गुड्स (अमेंडमेंट) बिल" की पुरःस्थापना में विशेष रूप में प्रकट हुई। बाद में इस बिल को वापस ले लिया गया और इसकी बजाय वाइस चांसलर ने ला कमीशन (विधि आयोग) को यह विशेष निर्दिष्ट कर दिया और ला कमीशन से निम्नलिखित बातों पर विचार करने की मांग की गई[1] :

(क) क्या माल-विक्रय या अवक्रय से सम्बन्धित या माल प्रदाय करने की अन्य संविदाओं से सम्बन्धित विधि के अधीन माल की क्वालिटी और योग्यता के बारे में जो परिवचन (अन्डरटेकिंगस) विवक्षित हैं उनमें संशोधन करना अपेक्षित है?

(ख) ऐसे व्यक्ति को, जिसे विक्रय या अवक्रय की संविदा या माल-प्रदाय की अन्य संविदा के अधीन माल प्रदाय किया जाता है और प्रदाता (सप्लायर) कानून द्वारा विवक्षित निबन्धन को भंग किया है, किन परिस्थितियों में यह हक प्राप्त है कि वह :—

(i) माल को अस्वीकार कर दे और संविदा को निराकृत माने,

(ii) कीमत में कमी करने या कीमत समाप्त कर देने के लिए प्रदाता के विरुद्ध दावा करे,

(iii) प्रदाता के विरुद्ध नुकसानी का दावा करे,

(ग) किन परिस्थितियों में क्रेता माल अस्वीकार करने का अधिकार सेल आफ गुड्स ऐक्ट (1979) के कारण खो देता है?

3.10 ला कमीशन ने अपनी पचानवेंवीं रिपोर्ट में, जो "माल-प्रदाय की संविदाओं में विवक्षित निबन्धनों" के विषय में थी, यह सिफारिश की थी कि माल के अन्तरण की सभी संविदाओं में (जो माल-विक्रय और अवक्रय के करारों से भिन्न हों) हक, माल का वर्णन के अनुसार होने, माल की वाणिज्यिकता और प्रयोजन के लिए उसकी योग्यता के बारे में स्पष्ट निबन्धनों को अधिरोपित करने के लिए विधान होना चाहिए। इस रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध विधेयक के प्रारूप में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि कानूनी निबन्धन अड़े और विनिमय की संविदाओं को ही लागू नहीं होने चाहिए बल्कि काम और सामग्री की संविदाओं को भी लागू होने चाहिए, और विवक्षित निबन्धन सामग्री के सम्बन्ध में लागू हों।

3.11 ऐसा प्रतीत होता है कि ला कमीशन के प्रस्तावों, के बारे में अभी तक कोई विधायी कार्रवाई नहीं की गई है और यह समस्या अभी विचाराधीन है।[2]

---

1. ब्रायन डब्लू हार्वे की पुस्तक के पृष्ठ 92 पर पाद-टिप्पण 9 देखिए।
2. उसी का पृष्ठ 98।

अध्याय 4

भारत में स्थिति—संशोधन की आवश्यकता

4.1 हम प्रारम्भ में ही राघव मेनन बनाम् कुट्टप्पन नायर[1] के विनिश्चय के प्रति निर्देश कर दें। इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं—वादी ने प्रतिवादी से हाथ की एक घड़ी खरीदी। इस घड़ी को विक्रेता ने अनेक बार ठीक करने की कोशिश की फिर भी वह सन्तोषजनक रूप से काम नहीं करती थी। क्रेता ने घड़ी के बदले में दूसरी घड़ी देने के लिए या कीमत वापस कर देने के लिए विक्रेता के विरुद्ध वाद चलाया। इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि विक्रेता घड़ी के बदले में दूसरी घड़ी देने के लिए या इसके विकल्प में कीमत लौटा देने के लिए आबद्ध था। यह मत व्यक्त किया गया कि—

"वादी एक साधारण आदमी है और वह घड़ियों का व्यापार करने वाले प्रतिवादी की काफी मशहूर फर्म पर जाता है और वहां से एक घड़ी खरीदता है जिसे वह किसी विशेष प्रयोजन के लिए नहीं बल्कि ठीक समय जानने के सामान्य प्रयोजन के लिए खरीदता है। ऐसे मामले में माल-विक्रय अधिनियम की धारा 16(1) लागू हो सकती है क्योंकि क्रेता किस प्रयोजन के लिए घड़ी खरीद रहा है इसे वह विक्रेता को विवक्षित रूप से ज्ञात करा देता है और विक्रेता के कौशल या विवेकबुद्धि पर भरोसा करता है।[2]

4.2 उपर्युक्त मामले से यह दर्शित होता है कि जब क्रेता अपने उपचार को लागू करने के लिए न्यायालय में वाद लाता है और यह सिद्ध करने में समर्थ है कि वह वस्तु वाणिज्यिक क्वालिटी की नहीं है या उसमें नकली हिस्से लगाए गए हैं तब वह अपने अधिकारों को विक्रेता के विरुद्ध लागू करने में सफल हो सकता है।

4.3 किन्तु अब समय बदल गया है। हमारे देश में विकास संबंधी क्रियाकलाप के फलस्वरूप व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के माल विनिर्मित हो रहे हैं। देश में जो औद्योगिक प्रगति हुई है उसका फायदा लोग पाने लगे हैं। आजकल जैसा उत्पादन हो रहा है और बिजली के परिष्कृत उपकरणों की जैसी बिक्री हो रही है उनके कारण इन वस्तुओं का खरीददार यह सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकता कि इनके हिस्से त्रुटिपूर्ण हैं या असली हिस्सों के बदले में निम्नतर के या नकली हिस्से लगाए गए हैं। हम इस रिपोर्ट में इस विषय के इस पहलू पर विचार करेंगे।

4.4 हमने इस बात पर सावधानी से विचार किया है कि क्या भारतीय माल विक्रय अधिनियम का भी समुचित रूप से संशोधन यू० के० सप्लाई आफ गुड्स (इम्प्लाइड टर्म्स) ऐक्ट, 1973 के उसी तरह ही कर देना चाहिए जिस तरह से बाद में इसका संशोधन 1979 में किया गया था। हम पहले यह देख चुके हैं कि न्यायालयों ने विद्यमान उपबन्धों का किस प्रकार से निर्वचन किया है। युनाइटेड किंगडम में भी विधि का संशोधन हो जाने पर भी एक विद्वान आलोचक ने यह विचार प्रकट किया है कि इतना सब होने के बावजूद अभी उपभोक्ता ऐसी सामान्य और बचने योग्य समस्याओं से, जिनका उपभोक्ता-माल के विक्रय में उसे सामना करना पड़ता है, पर्याप्त रूप से संरक्षित नहीं है।[3]

---

1. ए० आई० आर० 1962 केरल 318।
2. उसी का पृष्ठ 320।
3. ब्रायन डब्लू हार्वे के प्रस्ताव के पृष्ठ 98 पर पाद-टिप्पण 9 देखिए।

4.5 अतः इससे यह प्रकट होता है कि माल विक्रय अधिनियम का केवल संशोधन कर देने से उपभोक्ता के संरक्षण की समस्याहल नहीं होगी। हमारा मुख्य उद्देश्य यू० के० सेल आफ गुड्स ऐक्ट में किए गए संशोधनों की तरह विधि का संशोधन करने की सिफारिश करने की बजाय उपायों के लिए सुझाव देना है। इसके अलावा यह भी प्रकट नहीं होता कि बहुत से उपभोक्ताओं में विधि के विद्यमान उपबन्धों के अधीन उपचारों को लागू करने की मांग की है। ऐसी स्थिति में हमें यह प्रतीत होता है कि सर्वोत्तम तरीका एक ऐसी पद्धति के लिए सुझाव देना है कि जिसमें उपभोक्ता यह सुनिश्चित कर सके कि वह जिस माल को खरीदता है उसकी क्वालिटी और स्तर का परीक्षण खरीदने के समय की जाए और यदि आवश्यक हो तो यह परीक्षण थोड़ी फीस देने पर किया जाए। यह पद्धति का सुझाव देना माल विक्रय से सम्बन्धित विद्यमान विधि का विस्तारपूर्वक संशोधन करने के सुझाव देने की अपेक्षा बेहतर है क्योंकि, जैसा कि पहले बताया गया है, युनाइटेड किंगडम में भी इस बात के बारे में भिन्न-भिन्न राय हैं कि वहां की विधि में किए गए संशोधनों से प्रयोजन पूरा हुआ है या नहीं।

अध्याय 5

कार्य संचालन पत्र के बारे में प्राप्त आलोचनाएं

5.1 विधि आयोग ने अपने निष्कर्ष निकालने से पहले एक कार्य-संचालन पत्र तैयार किया था[1] जिसमें वर्तमान स्थिति बतायी गई थी और हितबद्ध व्यक्तियों तथा निकायों से इस विषय पर और कुछ प्रायोगिक प्रस्तावों पर अपने विचार प्रकट करने का अनुरोध किया गया था। कार्य-संचालन पत्र के बारे में अधिक संख्या में आलोचनाएं प्राप्त हुई हैं। आयोग उन सब का आभारी है जिन्होंने कार्य-संचालन पत्र के बारे में अपने विचार प्रकट करने का कष्ट उठाया है।

प्रोफेसर मनुभाई शाह, प्रबन्ध न्यासी (मैनेजिंग ट्रस्टी), कन्ज्यूमर एजूकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, अहमदाबाद, ने आयोग के सदस्य-सचिव से मुलाकात की थी और उपभोक्ता के संरक्षण के लिए विधान के सम्बन्ध में कुछ बहुमूल्य सुझाव दिए थे। आयोग इस विषय में उनकी गहरी रुचि की सराहना करता है। उन्होंने जो बातें बतायी हैं उनका उल्लेख बाद में इसी अध्याय में उचित स्थान पर किया जाएगा[2]।

आयोग इस बात से भी प्रसन्न था कि भारत सरकार के सम्बद्ध विभाग के सचिव ने आयोग से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में सरकार के दृष्टिकोण को विस्तारपूर्वक अभिनिश्चित किया जा सका था। उन्होंने जो बातें बतायी थीं उनका सारांश इस अध्याय में उचित स्थान पर दिया जाएगा[3]।

हम उत्तरवर्ती पैरों में उन विचारों के सारांश दे रहे हैं जो विभिन्न आलोचनाओं में प्रकट किए गये हैं[4]।

5.2 कार्य संचालन पत्र के बारे में जो आलोचनाएं प्राप्त हुई हैं[5] उनमें मोटे तौर से उन प्रस्तावों के पक्ष में विचार प्रकट किए गए हैं जो कार्य संचालन पत्र में बताए गए थे। इसका केवल एक अपवाद एक राज्य सरकार द्वारा की गई आलोचना है।[6]

आलोचनाओं में से एक आलोचना में तो मुख्य प्रस्तावों से सहमति प्रकट की गई है किन्तु सलाहकार परिषद् बनाए जाने के प्रस्ताव से सहमति नहीं प्रकट की गई है।[7]

कुछ आलोचनाओं में ऐसा विधान अधिनियमित किए जाने का सुझाव दिया गया है जिसका विस्तार कार्य संचालन पत्र में प्रस्तावित विधान के विस्तार से अधिक व्यापक है।[8]

कुछ आलोचनाओं में ऐसा अनुशास्तियां (सन्कशंस) इस विधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है जो कार्यसंचालन पत्र में प्रस्तावित अनुशास्तियों से अधिक कठोर हैं।[9]

---

1. भारत का विधि आयोग, उपभोक्ता-माल की क्वालिटी, नियंत्रण और निरीक्षण के संबंध में कार्य-संचालन पत्र, अप्रैल, 84।
2. आगे पैरा 5.12।
3. आगे पैरा 5.13।
4. इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख तक प्राप्त सभी आलोचनाओं पर ध्यान दिया गया है।
5. आगे पैरा 5.3।
6. आगे पैरा 5.4।
7. आगे पैरा 5.5।
8. आगे पैरा 5.6, 5.7 और 5.9।
9. आगे देखिए।

विभिन्न आलोचनाओं में जो बातें कही गई हैं उनकी चर्चा इस अध्याय में उचित स्थान पर की गई है।

5.3 जैसा कि पहले कहा गया है[1] आयोग द्वारा जारी किए गए कार्य संचालन पत्र के बारे में प्राप्त आलोचनाओं में से बहुसंख्यक आलोचनाओं में उन प्रस्तावों के लिए सहमति प्रकट की गई है जो कार्य संचालन पत्र में बताए गए थे और वे इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें की जा रही हैं उन्हीं के पर्याप्त रूप से अनुरूप वे प्रस्ताव थे। इन आलोचनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित सरकारों आदि द्वारा भेजी गई आलोचनाएं हैं :—

(क) तीन राज्य सरकार[2] (पश्चिमी बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और सिक्किम),

(ख) दो उच्च न्यायालय[3],

(ग) एक वकील-संघ (कलकत्ता की निगमित ला सोसाइटी[4] किन्तु इसने कुछ परिवर्तनों के लिए सुझाव दिया है,

(घ) एक व्यापार-संघ (अर्थात् आल इंडिया मोटर एण्ड ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, नई दिल्ली[5]।

5.4 एक राज्य सरकार (हरियाणा सरकार) ने कार्य संचालन पत्र में बताए गए प्रस्तावों से अपनी असहमति प्रकट की है[6]। उसने यह कहा है कि प्रस्तावितविधान से सस्ता और शीघ्र न्याय मिलने की और अधिक खर्चीला और बोझिल हो जाएगा क्योंकि उपभोक्ता को महंगे माल के नमूने जांच के लिए देने पड़ेंगे और बाद में लोक विश्लेषक के समक्ष अपने को प्रतिपरीक्षा (जिरह) के लिए अपने खर्चे पर हाजिर करना होगा। हम पहले पहलू के बारे में यह कह देना चाहते हैं कि यदि क्रय किया गया माल लोक विश्लेषक द्वारा जांच की जाने के लिए नहीं दिया जाता है तो यह सिद्ध करना सम्भव नहीं होगा कि उपभोक्ता को प्रदत्त माल निम्न स्तर का या नकली था। राज्य सरकार द्वारा की गई आलोचना के दूसरे पहलू (अर्थात् उपभोक्ता प्रतिपरीक्षा के लिए अपने को अपने खर्चे पर हाजिर करेगा) के बारे में यह बता देना चाहते हैं कि आयोग के प्रस्तताव में लोक विश्लेषक द्वारा क्रेता की प्रतिपरीक्षा की परिकल्पना नहीं की गई है केवल इस बात का उपबन्ध करने की चेष्टा की गई है कि यदि ऐसा क्रेता जिसने माल क्रय किया है, उस माल की क्वालिटी के बारे में सन्देह करता है तो वह उसे लोक विश्लेषक के यहां ले जा सकता है और उस क्रय किए गए माल की क्वालिटी के बारे में रिपोर्ट (उचित फीस का भुगतान करके) पा सकता है। हम ऐसा नहीं समझते कि इसे बहुत बोझ डालने वाला माना जा सकता है।

5.5 एक उच्च न्यायालय ने[6] यह सुझाव दिया है कि सलाहकार परिषद् के गठन से सम्बन्धित उपबन्ध (जैसी कि आयोग ने प्रस्ताव में परिकल्पना की गई है) अपने प्रयोजन को निष्फल कर देगा और इससे विलम्ब भी होगा।

हमने इस पहलू पर सावधानी से विचार किया है। यह सम्भव है कि सलाहकार परिषद् से परामर्श करने के कारण उन नियामक उपायों को, जिनकी परिकल्पना प्रस्तावित विधान में की गई है, क्रियान्वित करने में कुछ विलम्ब हो। किन्तु हमें विश्वास है कि ऐसे परामर्श से जो अन्य फायदे होने की आशा की जाती है उनके लिए विलम्ब का कष्ट उठाना

---

1. पिछला पैरा 5.2।
2. विधि आयोग की फाइल सं० एफ० 2(1)84-एल० सी० क० सं० 9 और 15।
3. विधि आयोग की फाइल सं० एफ० 2(1)84-एल० सी० क० सं० 16 और 7।
4. विधि आयोग की फाइल सं० एफ० 2 (1)84-एल० सी० क० सं० 11।
5. विधि आयोग की फाइल सं० एफ० 2(1)84-सी० क० सं० 5।
6. विधि आयोग की फाइल सं० एफ० 2(1) 84-एल० सी० क० सं० 17

बहुत महंगा नहीं पड़ेगा। ऐसे विधान में, जिसका प्रभाव समुदाय के विभिन्न वर्गों पर पड़ सकता है, इस बात के लिए उपबन्ध करना बुद्धिमानी प्रतीत होती है कि जिन हितबद्ध वर्गों पर इस विधान का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है उनसे परामर्श किया जाए।

5.6 कार्य-संचालन पत्र के बारे में की गई कुछ आलोचनाओं में इस बात के लिए दलील पेश की गई है कि इन प्रस्तावों का विस्तार और अधिक व्यापक कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए आल इंडिया मोटर एण्ड ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, नई दिल्ली ने यह सुझाव दिया है कि इन प्रस्तावों को मोटर गाड़ी के पुर्जों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए जिससे कि उपभोक्ता को ऐसे बेईमान विनिर्माताओं द्वारा शोषण किए जाने से सुरक्षित किया जा सके जो मोटर गाड़ी के नकली और निम्नस्तर के पुर्जों का प्रदाय करते हैं।[1] एक राज्य सरकार (आंध्र प्रदेश सरकार) ने भी यह सुझाव दिया है कि ये प्रस्ताव और अधिक व्यापक होने चाहिए।[2]

एक उच्च न्यायालय इस बात के भी पक्ष में है कि इन प्रस्तावों को और अधिक व्यापक बनाना चाहिए जिससे कि ये और बहुत से उपभोक्ता माल के लिए लागू हों, विशेष कर मोटर गाड़ियों और मोटर गाड़ी के फालतू पुर्जों के लिए इस उच्च न्यायालय ने यह बात भी कही है कि ऐसे उत्पादों में त्रुटियों के विनाशकारी परिणाम मानवजीवन या उसकी सुरक्षा के लिए हो सकते हैं।[3]

5.7 कुछ सुझाव अधिक कड़ी अनुशास्तियों या अतिरिक्त अनुशास्तियों के लिए दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, आन्ध्र प्रदेश सरकार इस बात के पक्ष में है कि विनिर्माण के प्रक्रम पर ही उत्पादों की क्वालिटी का कठोर नियंत्रण और परीक्षण किया जाना चाहिए।[4]

प्रोफेसर मनुभाई शाह ने आयोग के सचिव-सदस्य के साथ अपनी मुलाकात में यह सुझाव दिया है कि माल वापस मंगा लेने की पद्धति होनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि विनिर्माता ऐसे माल को, जो उपभोग के योग्य नहीं है, या तो स्वयं वापस मंगा लेगा या एक सरकारी एजेन्सी यह काम करने के लिए सशक्त की गई हो।[5]

5.8 हम ऐसी आलोचनाओं के बारे में, जिनमें विधान को और अधिक व्यापक बनाने का सुझाव दिया गया है, अपना यह मत अभी प्रकट कर देना चाहते हैं कि इस वर्तमान रिपोर्ट का विषय-विस्तार उपभोक्ता को कुछ प्रकार के ऐसे बिजली-उपकरणों के सम्बन्ध में संरक्षण देने तक ही सीमित है जो महंगे हैं और केवल एक बार खरीदे जाते हैं। प्रस्ताव को इस प्रकार सीमित करने के कारणों में से एक कारण यह रहा है कि हमें इस बात की जानकारी है कि यदि उसे बहुत व्यापक बना दिया गया तो उसके लिए जिस प्रकार की और जिस बड़े पैमाने पर संगठन सम्बन्धी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी वह सब अभी हमारे देश में इस समय विद्यमान नहीं है। विशेषकर लोक विश्लेषक उतनी संख्या में उपलब्ध न हों जितनी संख्या में वे सभी माल की क्वालिटी की परख उचित समय में और उक्ति फीस देने पर ऐसा करने के लिए पर्याप्त हों। यदि ऐसी सुविधाएं पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं हैं तो जिस क्षेत्र में उपभोक्ता का संरक्षण करने की चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है वह वास्तविक नहीं होगा ।

---

1. विधि आयोग की फाइल सं० एफ० 2(1)84-एल० सी० क्र० सं० 5।
2. विधि आयोग की फाइल सं० एफ० 2(1)84-एल० सी० क्र० सं० 9।
3. विधि आयोग की फाइल सं० एफ० 2(1)84-एल० सी०-क्र० सं० 16।
4. विधि आयोग की फाइल सं० एफ० 2(1)84-एल० सी० क्रम सं० 9।
5. आगे पैरा 5.12 मद (2) देखिए।

5.9 एक उच्च न्यायालय ने कार्य-संचालन पत्र के बारे में अपनी आलोचना[1] में यह कथन किया है कि प्रस्ताव उपभोक्ता माल को ही लागू नहीं होना चाहिए बल्कि उपभोक्ता-सेवाओं को भी लागू होना चाहिए जैसे कि ड्राई क्लीनिंग (धुलाई), सार्वजनिक दर्शक-कक्ष (आडिटोरियम) में जगह और इसी तरह की अन्य सेवाएं। हम इस सुझाव की तो सराहना करते हैं कि उपभोक्ता-सेवाओं को भी विनियमित करना पड़ सकता है लेकिन आयोग का प्रस्ताव केवल बिजली के महंगे उपकरणों के सम्बन्ध में था। यदि उपभोक्ता-सेवाओं के विनियमन के लिए अपेक्षित किसी विधान की आवश्यकता पड़ती है तो यह बात स्वाभाविक है कि वह इससे भिन्न तरीके का होगा।

5.10 पश्चिमी बंगाल सरकार ने यह सुझाव दिया है कि ऐसे दाण्डिक उपबन्ध होने चाहिए जो उस दशा में लागू किए जा सकें जब कि विनिर्दिष्ट वस्तुएं विहित स्तर के अनुकूल न हों। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अभियोजन के लिए भी जोर दिया है।[2-3]

5.11 आयोग सावधानी से विचार करने के पश्चात् इस पक्ष में नहीं है कि वर्तमान रिपोर्ट मे जिस विधान के लिए सिफारिश की गई है उसमें दाण्डिक उपबन्ध सम्मिलित किए जाएं। इसमें जिस प्रकार के प्रस्ताव किए गए हैं उनका मुख्य रूप से आशय उपभोक्ता को कारगर राहत देना है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उपभोक्ता से सम्बन्धित विधियों के बड़े पैमाने पर अतिक्रमणों के लिए दाण्डिक उपबन्ध अनावश्यक नहीं हैं किन्तु ऐसे दायित्व को सम्मिलित करना एक ऐसा प्रश्न होगा जिसके लिए कई पहलुओं पर विचार करना आवश्यक हो जाएगा जिनमें ये पहलू कि विधि का कितना गम्भीर विचलन हुआ है, उसके लिए कैसी मानसिक स्थिति अपेक्षित है और दाण्डिक उपबन्ध कैसे लागू किए जाएंगे आदि हैं। इसके लिए इस प्रश्न पर भी विचार करना आवश्यक होगा कि क्या सामान्य दाण्डिक विधि के और ऐसे कुछ विशेष अधिनियमों के उपबन्ध, जो आपराधिक दायित्व अधिरोपित करते हैं, सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए पर्याप्त नहीं हैं?

5.12 इसी प्रक्रम में यह उल्लेख कर देना चाहिए कि श्री मनुभाई शाह, प्रबन्ध-न्यासी, उपभोक्ता शिक्षा और अनुसन्धान केन्द्र, अहमदाबाद (मैनेजिंग-ट्रस्टी, कनज्यूमर एडूकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, अहमदाबाद) विधि आयोग में आए थे और सदस्य-सचिव से उपभोक्ता-संरक्षण के विषय में अनौपचारिक रूप से विचार-विमर्श किया था। प्रोफेसर शाह ने इसके बारे में अनौपचारिक रूप से जो सामान्य विचार प्रकट किए थे उनका सारांश नीचे दिया जा रहा है:—

(1) **स्तर**—जो माल अपने आप में खतरनाक होते हैं उनके बारे में अनिवार्य प्रभारीकरण की पद्धति शुरू करनी चाहिए।

(2) **माल वापस लिया जाना**— माल वापस लेने की पद्धति शुरू करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि जो माल उपभोग के लिए योग्य नहीं है उसे विनिर्माता स्वयं वापस ले ले या सरकारी अभिकरण (एजेन्सी) ऐसा करे।

(3) **मानक**—भारतीय मानक संस्था (इंडियन स्टैन्डर्ड इन्सच्यूशन) का योगदान उत्पादों पर अपना चिह्न लगाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। इस संस्था को अनिवार्य प्रमाणपत्र जारी करने के लिए भी सशक्त किया जा सकता है। इसे ऐसे मामलों में पर्यवेक्षण करने का काम भी सौंपा जा सकता है।

---

1. विधि आयोग की फाइल सं० एफ० 2(1)/84-एल० सी० क्र० सं० 16।
2. विधि आयोग की फाइल सं० एफ० 2(1)/84-एल० सी० क्र० सं० 7।
3. विधि आयोग की फाइल सं० एफ० 2(1)84-एल० सी० क्र० सं० 9।

(4) उपचार---सरकार को एक ऐसा फोरम स्थापित करना चाहिए जहां उपभोक्ता ऐसे माल के बारे में, जो जनता के साधारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, समुचित उपचार प्राप्त करने के लिए जा सकें।

(5) **किसी उत्पाद का परीक्षण**---एक ऐसी पद्धति बनायी जानी चाहिए जिससे या तो जनता के किसी सदस्य द्वारा या अन्यथा किसी उत्पाद के बारे में शिकायत किए जाने पर, उसका परीक्षण उसके विनिर्माता द्वारा किया जा सके।

(6) **परीक्षण का खर्चा**---खर्चा उठाने के दायित्व के मामलों के लिए उपबन्ध करना भी आवश्यक हो सकता है, अर्थात् उत्पादों के परीक्षण का खर्चा कौन उठाए ---विनिर्माता या उपभोक्ता? परीक्षण किए जाने के दौरान माल के नुकसान होने की सम्भावना निम्नलिखित दोनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से है :---

(i) परीक्षण की प्रक्रिया में ही उत्पाद या माल को तोड़ने की आवश्यकता होती है।

(ii) परीक्षण की प्रक्रिया में उपेक्षा या गलत ढंग से इस्तेमाल करने के कारण माल टूट सकता है। दायित्व सुनिश्चित करने के लिए इस सम्बन्ध में समुचित उपबन्ध बनाए जाने चाहिए।

हमने प्रोफेसर शाह द्वारा दिए गए इन सुझावों को नोट कर लिया है। क्रम सं० (1) से (4) तक के सुझाव इस रिपोर्ट के क्षेत्र के बाहर हैं। यह पहले ही बता दिया गया है कि इस रिपोर्ट का विस्तार किन विषयों के सम्बन्ध में है। क्रम सं० (5) के सुझाव से भी प्रशासनिक तंत्र (मशीनरी) की व्यावहारिक समस्याएं और इसी तरह की अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

उपर्युक्त (6) में जो बात उठायी गई है उसके बारे में हमारा विचार है कि वह नियमों द्वारा तय की जानी चाहिए। किन्तु प्रस्तावित विधान के क्रियान्वयन में अनुभव की गई व्यावहारिक कठिनाइयों को समुचित संशोधन द्वारा हल किया जा सकता है और हल किया जाना चाहिए।

5.13 अन्त में हम खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय में नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव के उन विचारों का उल्लेख कर देना चाहते हैं जो उन्होंने आयोग द्वारा जारी किए गए कार्य-संचालन पत्र के उत्तर में प्रकट किए हैं। नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव श्री एम० सुब्रमनियन आयोग के समक्ष 4 सितम्बर, 1984 को उपस्थित हुए थे और उन्होंने यह जानकारी दी थी कि सरकार एक विधेयक द्वारा भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952 तथा बाट और माप मानक प्रवर्तन अधिनियम का संशोधन करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है जो संसद् के पिछले सत्र में पुनःस्थापित किया गया था।[1] श्री सुब्रमनियन के मतानुसार सरकार उपभोक्ता माल के बारे में कुछ मानकों को विहित करने के लिए अपने को ही सशक्त करना चाहती है और उपभोक्ताओं को जल्दी राहत देने के लिए न्यायालयों में प्रक्रिया का सरलीकरण करके एक समुचित प्रवर्तन-तंत्र (इन्फोर्समेंट मशीनरी) स्थापित करने की परिकल्पना की जा रही है। उन्होंने विचार-विमर्श के दौरान आयोग के उस सुझाव की सराहना की जो कार्य संचालन पत्र में उपभोक्ता को यह अधिकार देने के लिए है कि वह विनिर्दिष्ट उत्पादों के परीक्षण की रिपोर्ट लोक विश्लेषक से प्राप्त कर सकता है।

---

1. विधि आयोग की फाइल सं० एफ० 2(1)/84-एल० सी० एस० क० सं० 12।

उन्होंने हमें यह जानकारी दी कि सरकार प्रस्तावित विधान में, जिसे वह संसद् के आगामी सत्र में पेश करने पर ध्यान दे रही है, आयोग की सिफारिशों को सम्मिलित करने पर सम्यक् रूप से विचार करेगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सरकार एक कानूनी अखिल भारतीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् (आल इंडिया कनज्यूमर्स प्रोटेक्शन काउन्सिल) गठित करने पर भी ध्यान दे रही है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि दिल्ली प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार ने उपभोक्ता-संरक्षण के बारे में विधान बनाना प्रारम्भ कर दिया है।

5.14 हमें इस विषय के सम्बन्ध में प्रगति की जो जानकारी दी गई है उस पर हमने ध्यान दिया है। इस संदर्भ में हमें इस बात को लिपिबद्ध कर देना चाहिए कि वर्तमान प्रस्ताव का उद्देश्य, जिसे हम पहले ही कह चुके हैं, उपभोक्ताओं को बिजली के मंहगे कुछ उपकरणों के बारे में राहत देना है। उपलब्ध जानकारी और साधनों को ध्यान में रख कर इस प्रश्न पर विचार किया जाना कि क्या क्वालिटी-नियंत्रण का विस्तार बढ़ाकर उसे सभी उपभोक्ता माल पर लागू किया जाना चाहिए। यह ऐसा व्यापक प्रश्न है जो इस रिपोर्ट के विषय के बाहर है।

5.15 हम कार्य-संचालन पत्र के बारे में प्रकट किए गए विचारों पर ध्यान देने के बाद अपनी सिफारिशों के ब्यौरे आगामी अध्याय में दे रहे हैं।

अध्याय 6

और आगे विचार तथा सिफारिशें

6.1 इस बात का उल्लेख कर देना असंगत नहीं होगा कि विधि आयोग ने अपनी आठवीं रिपोर्ट में माल-विक्रय अधिनियम, 1930 का पुनरीक्षण किए जाने पर विचार किया था। आयोग ने इस प्रश्न पर विचार करते समय कि क्या इस अधिनियम की धारा 16 में कोई संशोधन आवश्यक है यह प्रश्न संघ और राज्यों की सरकारों द्वारा विचार किए जाने के लिए छोड़ दिया था कि वे आयोग द्वारा प्रकट किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए यह नीति सम्बन्धी विषय के रूप में तय करें कि क्या उनको इस सम्बन्ध में विधान बनाना चाहिए?[1] अभी तक उक्त धारा में कोई संशोधन नहीं किया गया है। हम आयोग की उन सिफारिशों की चर्चा इस रिपोर्ट में आगे करेंगे।

6.2 इसके साथ ही हम यह भी महसूस करते हैं कि जब क्रेता माल क्रय करते समय उस माल की क्वालिटी सुनिश्चित करना चाहता है तब ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए विद्यमान विधि अपर्याप्त है और इसके लिए उसे मजबूत बनाना आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश में एक ऐसी विधि का होना आवश्यक है जो न केवल माल की क्वालिटी के लिए न्यूनतम कुछ स्तर (स्टैन्डर्ड) का उपबन्ध करे बल्कि ऐसे स्तर को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनतंत्र का भी उपबन्ध करे। इस विधि को ऐसे तंत्र के लिए उपबन्ध करना चाहिए जो किसी ऐसे माल की क्वालिटी का परीक्षण कराए जिसे कोई हितबद्ध क्रेता कराना चाहता है।

6.3 जैसा कि आयोग ने पहले बताया है[2] कि ऐसे कुछ अधिनियम हैं जिनमें क्वालिटी के स्तर विहित करने के लिए नियम बनाए जाने का अधिकथन या उपबन्ध किया गया है, जैसे कि कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 और औषधि अधिनियम, 1940। इसके बाद के भी अधिनियम हैं, जैसे कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963। इन अधिनियमों में यह उपबन्ध है कि वस्तुएं कुछ न्यूनतम स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। यदि वस्तुएं उस स्तर के अनुकूल नहीं हैं तो शास्ति के लिए भी इन अधिनियमों में उपबन्ध है। औषधि अधिनियम ऐसे माल के विक्रय का प्रतिषेध करता है जो क्वालिटी के स्तर का नहीं है। निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को ऐसी वस्तुओं के बारे में अधिसूचना निकालने के लिए सशक्त करता है जिनका निर्यात किए जाने से पहले उनकी क्वालिटी का नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों किया जाएगा। राज्य सरकार को इस बात के लिए भी सशक्त किया गया है कि वह यह अधिकथन करे कि निर्यात माल किस स्तर के अनुकूल हो।

6.4 भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित भारतीय मानक संस्था द्वारा मानक अधिकथित किए जाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है अब हमारे देश में अनेक प्रकार के उपभोक्ता-माल का उत्पादन हो रहा है और मध्यम वर्ग के अधिसंख्यक परिवार उसे खरीदने हैं। इनमें से कुछ माल जैसे कि टी० वी०, रेफ्रिजेरेटर, आदि केवल एक बार खरीदा जाता है। यह आवश्यक है कि संसद् ऐसी एक विधि अधिनियमित करे कि बाजार में विक्रय किए जाने वाले बिजली के ऐसे उपकरण आदि संसदीय अधिनियम के अधीन विहित न्यूनतम मानकों के अनुकूल हों।

6.5 यह बता देना चाहिए कि संसद् ऐसे उद्योगों के बारे में विधि बनाने के लिए सशक्त है जिनके नियंत्रण को संसद् ने विधि द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया है। अतः संसद् के लिए यह सम्भव है कि वह उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम,

1. भारत के विधि आयोग की आठवीं रिपोर्ट, पृष्ठ 8।
2. भारत के विधि आयोग की आठवीं रिपोर्ट, पृष्ठ 18।

4—18M of LJ&CA/ND/84

1951 की अनुसूची में वर्णित उद्योगों के उत्पादों की क्वालिटी का नियंत्रण करें। हम यह सिफारिश करते हैं कि जिस प्रकार संसद् ने निर्यात किए जाने वाले माल की क्वालिटी करने के लिए विधि बनायी है उसी प्रकार संसद् अन्तर्देशीय व्यापार के बारे में भी अधिनियम के अधीन अधिकथित क्वालिटी के अनुकूल होने के लिए विधि अधिनियमित करे। इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि संसद् ऐसी विधि बनाने के लिए सक्षम है। ऐसी विधि लोकहित में कारबार चलाने के अधिकार पर उचित निर्बन्धन होगी।

6.6 निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबन्धित है कि अधिनियम के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण को लागू करने के उपायों के बारे में सरकार को सलाह देगी। सरकार उक्त अधिनियम के अधीन क्वालिटी नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों के लिए अभिकरणों (एजेन्सियों) को अधिसूचना द्वारा स्थापित कर सकती है। सरकार द्वारा इस प्रकार से नियुक्त अभिकरण ऐसा परीक्षण, जिसे वह क्वालिटी नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों के सम्बन्ध में ठीक समझे, कर सकता है या करा सकता है। सरकार द्वारा इस प्रकार से नियुक्त अभिकरण ऐसी परीक्षण, जिसे वह अधिसूचित वस्तुओं की क्वालिटी नियंत्रण या निरीक्षण के सम्बन्ध में ठीक समझे, या तो निर्यात के समय या उससे पहले ऐसे परीक्षण गृहों में या ऐसे पर्यवेक्षकों द्वारा या नमूना लेने वालों द्वारा, जो सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किए गए हों, कर सकता है। केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के अधीन निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करके ऐसी वस्तुएं अधिसूचित करेगी जो क्वालिटी नियंत्रण या निरीक्षण के अधीन होगी और किसी अधिसूचित वस्तु के लिए मानक विनिर्देश निश्चित करेगी।

6.7 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को लोक विश्लेषक ऐसे क्षेत्रों के लिए, जो उनको सौंपे जाएं, नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है। सरकार उक्त अधिनियम के अधीन खाद्य निरीक्षकों को भी नियुक्त कर सकती है जिनको यह शक्ति प्राप्त होगी कि वे खाद्य-वस्तुएं बेचने वाले किसी व्यक्ति से खाद्य की किसी वस्तु के नमूने ले सकें और ऐसे नमूने विश्लेषण के लिए सम्बद्ध क्षेत्र के लोक विश्लेषक को यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से भेज सकें कि वे खाद्य-वस्तुएं अपमिश्रित नहीं हैं।

6.8 सावधानीपूर्वक विचार करने पर हमें यह प्रतीत होता है कि सरकार को एक संसदीय अधिनियमिती के अधीन इसी प्रकार का एक तंत्र स्थापित करना चाहिए जिसके अधीन नियुक्त विश्लेषकों को यह शक्ति प्राप्त हो कि वे अधिनियम के अधीन अधिसूचित बिजली के ऐसे उपकरणों या उपभोक्ता-माल का, जो बाजार में बेचा जाता है, परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकें कि वे उपकरण या माल अधिनियम के अधिकथित क्वालिटी के अनुकूल हैं। यह परीक्षण क्रेता के आवेदन पर और उसके द्वारा थोड़ी फीस दिए जाने पर किया जा सकता है। हम संसद् द्वारा इस संबंध में विधि अधिनियमित किए जाने की सिफारिश करते हैं।

6.9 हमारी यह सुविचारित राय है कि ऐसी विधि निम्नस्तर या नकली पुर्जों या हिस्सों के उत्पादन या विक्रय में प्रचलित दुराचार को रोकने में बहुत कारगर होगी।

6.10 जैसा कि पहले कहा गया है[1] विधि आयोग माल-विक्रय अधिनियम, 1930 के संशोधनों की चर्चा कर चुका है। धारा 16 (क्वालिटी या योग्यता के बारे में विवक्षित शर्तें) पर विचार करते समय आयोग ने भारतीय मानक संस्था के उपनिदेशक के साथ किए गए विचार-विमर्श का उल्लेख किया है। उप निदेशक ने अन्य बातों के साथ-साथ धारा

1. भारत के विधि आयोग की आठवीं रिपोर्ट।

16 के संशोधन का सुझाव यह उपबन्ध करने के लिए दिया था कि जब सरकार किसी प्रयोजन के लिए कोई मानक अधिकथित कर देती है तब उत्पाद उस मानक के अनुकूल होना चाहिए। आयोग ने निम्नलिखित विचार प्रकट किया था :—

"उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक ऐसा उपबन्ध आवश्यक है जो ऐसे मामलों में माल की क्वालिटी के सम्बन्ध में इस आशय की शर्त या वारन्टी विवक्षित करेगा कि विक्रय किया गया माल उस क्वालिटी का है जिस क्वालिटी को मानक या अन्य चिह्न से प्रकट किया गया है। माल की क्वालिटी के सम्बन्ध में किसी अभिव्यक्त या विवक्षित शर्त या वारन्टी के भंग किए जाने पर संविदा का निराकरण करने के अधिकार का दावा करने या.....नुकसानी का दावा करने के लिए समर्थ नहीं होगा।

वह अधिनियमों के अधीन उपबंधित शास्तियों के लिए दायी हो सकता है। कानूनी शर्त या वारन्टी के अधिनियमन का प्रभाव व्यापारियों और विचौलियों के व्यापक वर्ग पर पड़ सकता है। संघ और राज्यों की सरकारों द्वारा नीति संबंधी विषय के रूप में यह निश्चय किया जाना है कि क्या उनको ऐसा विधान बनाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में हम उपनिदेशक द्वारा उठाए गए प्रश्न के बारे में कोई सिफारिश नहीं कर रहे हैं।"

6.11 किन्तु अब समय बदल गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न प्रकार के माल का तेजी से बढ़ते हुए उत्पादन और उनके क्रय-विक्रय में बढ़ते हुए दुरुपयोग को देखते हुए विक्रय किए जाने वाले माल की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए एक विधि बनाना आवश्यक है।

6.12 पिछले अध्यायों में किए गए विचार विमर्श के परिणामस्वरूप हम निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विधि अधिनियमित की जाने की सिफारिश करते हैं :—

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विक्रीत माल की क्वालिटी प्रस्तावित विधि में अधिकथित मानकों के अनुकूल है।

(ii) विशेष प्रकार के माल या विशेष प्रकार के उद्योगों के संबंध में सलाहकार परिषदों के गठन के लिए।

(iii) ऐसे क्षेत्रों के लिए लोक विश्लेषकों की नियुक्ति के लिए जो उन्हें सौंपे जाएं और जिन्हें यह शक्ति प्राप्त हो कि वे अधिसूचित तथा बाजार में विक्रीत माल का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकें कि वह माल अधिनियम में अधिकथित क्वालिटी के अनुकूल है।

6.13 हम अपनी सिफारिशों को मूर्त रूप दे रहे हैं। हम इसके साथ एक विधेयक का प्रारूप उपाबद्ध कर रहे हैं।

(के० के० मैथ्यू)
अध्यक्ष

(जे० पी० चतुर्वेदी)
सदस्य

(डा० एम० बी० राव)
सदस्य

(पी० एन० बख्शी)
अंशकालिक सदस्य

(वेपा० पी० सारथी)
अंशकालिक सदस्य

(ए० के० श्रीनिवासमूर्ति)
सदस्य-सचिव

तारीख

परिशिष्ट

विधेयक का प्रारूप

(उपभोक्ता-माल-क्वालिटी का परीक्षण)

विषय-सूची

अध्याय 1—**प्रारंभिक**

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
2. निर्वचन।
3. वह माल जिसे यह अधिनियम लागू होता है।

अध्याय 2—**विक्रय में परिदत्त माल का परीक्षण**

4. क्वालिटी का परीक्षण।
5. आवेदन की विषय-वस्तु और फीस।
6. लोक विश्लेषक द्वारा परीक्षण और रिपोर्ट।
7. साक्ष्य में रिपोर्ट का उपयोग।

अध्याय 3—**प्रकीर्ण**

8. लोक विश्लेषकों की नियुक्ति (प्रारूपित किया जाना है)
9. सलाहकार परिषदें (प्रारूपित किया जाना है)
10. नियम (प्रारूपित किया जाना है)

उपभोक्ता - माल (क्वालिटी - परीक्षण) विधेयक, ...198.....

उपभोक्ताओं के हितों के लिए कतिपय माल की क्वालिटी के परीक्षण का उपबन्ध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के ..... वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिगित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता-माल (क्वालिटी-परीक्षण) अधिनियम, 198—है।

(2) इसका विस्तार जम्मु-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

निर्वचन।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ख) "लोक विश्लेषक" से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त लोक विश्लेषक अभिप्रेत है ;

(ग) "विनिर्दिष्ट माल" से वह माल अभिप्रेत है जिसे यह अधिनियम तत्समय लागू होता है; और

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और माल-विक्रय अधिनियम, 1930 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

यह माल जिसे यह अधिनियम लागू होता है।

3. (1) पहिली बार यह अधिनियम बिजली के ऐसे सभी उपकरणों को लागू होता है जिनका विनिर्माण तत्समय उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अध्यधीन है।

(2) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह घोषणा कर सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे माल को भी लागू होंगे जिनका उल्लेख अधिसूचना में किया जाए।

(3) इस धारा के अधीन कोई अधिसूचना किसी ऐसे माल के बारे में तब तक नहीं जारी की जाएगी जब तक कि उस माल के उत्पादन को विनियमित करने वाली विधि संसद् की विधायी क्षमता के अन्तर्गत न हो।

(4) इस धारा के अधीन अधिसूचना का जारी किया जाना पूर्व प्रकाशित किए जाने की शर्त के अधीन होगा और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 के उपबन्ध ऐसी अधिसूचना के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उन नियमों के संबंध में लागू होते हैं जो पूर्व प्रकाशित किए जाने की शर्त के अधीन होते हैं और इस प्रयोजन के लिए पूर्व प्रकाशन की न्यूनतम अवधि तीन मास है।

(5) ऐसी कोई भी अधिसूचना धारा 9 के अधीन गठित सलाहकार परिषद् की सिफारिश पर ही जारी की जाएगी, अन्यथा नहीं।

अध्याय 2

माल का परीक्षण

माल का परीक्षण।

4. (1) जब ऐसे माल के विक्रय के लिए, जिसे यह धारा लागू होती है, करार में,—

(क) उस करार के अधीन परिदत्त किए जाने वाले माल की क्वालिटी के बारे में ऐसा अभिव्यक्त निबन्धन है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिती द्वारा या के अधीन अधिकथित किसी माल को अपनाने के लिए निबन्धन है, या

(ख) ऐसी क्वालिटी के बारे में शर्त या वारन्टी है जो तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिती द्वारा या के अधीन विवक्षित है, तब ऐसा क्रेता, जिसे माल ऐसे करार के अधीन परिदत्त किया गया है, यथास्थिति, ऐसे निबन्धन, शर्त या वारन्टी के संदर्भ में, उस माल का परीक्षण करने के लिए लोक विश्लेषक को लिखित रूप में आवेदन कर सकता है;

(ग) यह धारा विनिर्दिष्ट माल के द्वारा विक्रय के लिए प्रत्येक करार को लागू होती है।

आवेदन की विषय-वस्तुएं और फीस।

5. (1) धारा 4 के अधीन प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित बातें उचित विस्तार से विनिर्दिष्ट की जाएंगी :—

(क) क्रेता और विक्रेता के नाम और पते;

(ख) क्रय किया माल और संदत्त कीमत;

(ग) क्रय की तारीख;

(घ) निबन्धन, शर्त या वारन्टी, जो लागू हो, और किन बातों के बारे में उसका अतिक्रमण किया गया है।

(2) आवेदन में यह और कथन किया जाएगा कि उसकी एक प्रति उस तारीख को, जो आवेदन में उल्लिखित की जाए, विक्रेता को परिदत्त की गई या डाक से भेजी गई है।

(3) विहित फीस आवेदन के साथ दी जाएगी।

लोक विश्लेषक द्वारा परीक्षण और रिपोर्ट।

6. (1) लोक विश्लेषक धारा 4 में उल्लिखित आवेदन प्राप्त करने और यह समाधान कर लेने पर कि आवेदन सभी बातों में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार है, माल का परीक्षण यह अभिनिश्चित करने के लिए करेगा कि क्या वह माल धारा 4 में विनिर्दिष्ट निबन्धन, शर्त या वारन्टी के अनुसार है।

(2) लोक विश्लेषक ऐसा परीक्षण करने के लिए क्रेता और विक्रेता को माल का नमूना लेने के अपने प्रस्ताव की कम से कम एक सप्ताह की सूचना देकर, जिसमें नमूना लेने के लिए नियत समय और स्थान विनिर्दिष्ट होगा, क्रेता से माल का नमूना लेगा।

(3) लोक विश्लेषक परीक्षण पूरा कर लेने पर अपनी रिपोर्ट अपने हस्ताक्षर सहित अभिलिखित करेगा जिसकी प्रतियां क्रेता और विक्रेता को भी डाक द्वारा भेजेगा।

(4) लोक विश्लेषक आवेदक को उस दशा में रिपोर्ट देने से इन्कार कर सकता है और उसको फीस वापस किए जाने का निदेश दे सकता है जब कि ऐसे कारणों से, क्वालिटी का परीक्षण करना अव्यावहारिक है।

(5) लोक विश्लेषक आवेदन किए जाने के दो मास के अन्दर अपनी रिपोर्ट अभिलिखित करेगा किन्तु तब नहीं जब वह अपरिहार्य कारण से ऐसा करने से रोक दिया गया हो।

साक्ष्य में रिपोर्ट का उपयोग।

7. धारा 6 के अधीन अभिलिखित लोक विश्लेषक की रिपोर्ट क्रेता और विक्रेता के बीच ऐसे किसी वाद में जो विक्रय के करार से उत्पन्न हुआ हो, उन विषयों के बारे में, जिनके संबंध में वह रिपोर्ट साक्ष्य में लोक विश्लेषक को न्यायालय में बुलाए बिना ग्राह्य होगी किन्तु इस धारा की कोई बात ऐसी किसी कार्यवाही में किसी पक्षकार के इस अधिकार को कि वह न्यायालय में लोक विश्लेषक की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करे, प्रभावित नहीं करेगी।

अध्याय 3

प्रकीर्ण

लोक विश्लेषकों की नियुक्ति।

8. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक विश्लेषकों को उतनी संख्या में नियुक्त कर सकेगी जितनी कि आवश्यक हो।

(2) ऐसे लोक विश्लेषक उन विशिष्ट वर्गों के माल या विशिष्ट उद्योगों के लिए, जो समुचित समझे जाएं, नियुक्त किए जा सकेंगे।

सलाहकार परिषदें।

9. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सलाहकार परिषदें, ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए गठित कर सकेगी, जो ऐसी परिषदों द्वारा इस अधिनियम के अधीन पालन किए जाने को हैं।

(2) अलग-अलग सलाहकार परिषदें ऐसे विशिष्ट वर्गों के माल या विशिष्ट उद्योगों के संदर्भ में, जो समुचित समझे जाएं, गठित की जा सकेंगी।

(3) प्रत्येक सलाहकार परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे :—

(क) अध्यक्ष, जो कारबार या उद्योग का अनुभव या विशेषज्ञता रखता हो ;

(ख) कारबार या उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य; और

(ग) उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य।

(4) ऐसा कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाएगा जो कारबार या उद्योग में सक्रिय रूप से लगा हो।

(5) सलाहकार परिषदों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उनसे संबंधित प्रशासनिक विषय ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं।

नियम 10

10. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और विशिष्टतया ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस ;

(ख) धारा 10 के अधीन गठित सलाहकार परिषदों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उनसे संबंधित प्रशासनिक विषय, और

(ग) ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात हों।

(3) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने के पूर्व उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MGIPCBE—S2—18 M of LJ & CA/ND/84—8-1-86—250.

PLD. 92. C.V.(H)
250—1985 (DSK.IV)

मूल्य : (देश में) रु० 34.50 या (विदेश में) £ 4.03 या $ 12.42

प्रबन्धक, भारत सरकार, मुद्रणालय, कोयम्बत्तूर-641 019 द्वारा मुद्रित
तथा प्रकाशन नियंत्रक, नई दिल्ली-110 001 द्वारा प्रकाशित
1986